

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल I.A.S.

प्रकरण संख्या - 32/2019 (अपील)

गोदू आत्मज गोपू जाति भील निवासी बलाई मोहल्ला रानपुर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा
तहसील लाडपुरा कोटा

—रेस्पोजेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान
भूराजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी
आदेश दिनांक 30.01.2019 मि0नं0
147/2018 न्यायालय सहायक वन
संरक्षक वन मण्डल कोटा कार्यवाही धारा
91 भू रा0 अधि0



श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:—06.08.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा, वन मण्डल कोटा ने "क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रेत्या चौकी तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर 407 की 1.5 हे0 वन भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान बनाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध अतिक्रमण की धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 147/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाने एवं 501/- रुपये की शास्ति के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.01.2019 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 25.02.2019 को पेश की गई है कि उक्त भूमि पूर्व में वन भूमि नहीं थी बल्कि अवर्गीकृत भूमि है जो गलती से वर्ष 1986 में राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि में दर्ज करली गई थी एवं उक्त भूमि वन विभाग को सम्भलायी भी नहीं गयी थी। यह पुराना रेत्या चौकी था जिसमें अपीलान्ट निवास करता चला आ रहा है। अपीलान्ट भील जाति का है जो एस.टी. वर्ग में आता है जो ट्राईवल एक्ट के तहत अधिकार पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोजेन्ट के प्रतिनिधि उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ

कानून एवं पत्रावली में संघित तथ्यों एवं कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अपीलान्त विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं है, बल्कि उक्त भूमि का पट्टा अपीलान्त के पक्ष में है। उक्त भूमि पूर्व में वन भूमि नहीं थी, बल्कि अवर्गीकृत भूमि है जो गलती से वर्ष 1986 में राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि में दर्ज करली गयी थी एवं उक्त भूमि वन विभाग को संभलाई भी नहीं गयी थी। यह पुराना रेत्या चौकी था, जिसमें अपीलान्त निवास करता चला आ रहा है। अपीलान्त भील जाति का है जो अनुसूचित वर्ग में आता है जो ट्राईबल एक्ट के तहत अधिकार पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया।

5. रैस्पोंडेन्ट ने बहस में कथन किया कि ग्राम रेत्या चौकी की भूमि खण्ड 407 वन विभाग की भूमि है, जिस पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना रखा है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध विभाग द्वारा विधि पूर्वक नोटिस एवं बेदखली की कार्यवाही की गई है जो नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।
6. हमने वकील अपीलान्त व रैस्पोंडेंट के प्रतिनिधि की बहस मनन किया एवं पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न पट्टा दिनांक 29.3.1964 जो सरपंच ग्राम पंचायत रानपुर पं० सं० लाडपुरा व रसीद दिनांक 28.3.1964 की छाया प्रति संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.1.2019 में भी अपीलान्त द्वारा निम्न दस्तावेज एवं निम्न तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बताया है -
 1. वर्ष 1964 का पट्टा पेश किया।
 2. यह भूमि पूर्व में वन भूमि नहीं रही है।
 3. अवर्गीकृत भूमि है जो गलती से 1986 में राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि दर्ज कर दी गई थी एवं वन विभाग को संभलाई भी नहीं थी, यहां पर पुराना गांव रेत्या चौकी वर्षों से रहता आ रहा है।
 4. अपीलान्त भील जाति का है जो अनुसूचित जाति वर्ग में आता है जो ट्राईबल एक्ट के तहत अधिकार पत्र पाने का हकदार है।
7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.1.2019 में उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.1.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच कर अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।
8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर, कोटा